



प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक(बे०),
बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०,
प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु लेखाशीर्षक- "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन" योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्रांक-वेतन/ अनुदान प्राप्ति/1/18624-27/2026-27, दिनांक 31.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन" योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि ₹ 6120.37 लाख (₹ इक्सठ करोड़ बीस लाख सैतीस हजार मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत धनराशि शिक्षा निदेशक(बेसिक) के निवर्तन पर रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रत्येक माह महालेखाकार व शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा, जिस प्रयोजन/ मद के लिए स्वीकृति की जा रही है।
- (5) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय
लेखाशीर्षक: 2202010010400 (बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	01 वेतन	33,55,92,000 (रुपये तैंतीस करोड़ पचपन लाख बानबे हजार मात्र)
2	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	03 मंहगाई भत्ता	21,81,35,000 (रुपये इक्कीस करोड़ इक्कासी लाख पैँतीस हजार मात्र)
3	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	04 यात्रा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
4	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
5	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	08 कार्यालय व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
7	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	09 विद्युत देय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
8	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	10 जलकर / जल प्रभार	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
9	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
10	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	65,00,000 (रुपये पैँसठ लाख मात्र)
11	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
13	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
14	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
15	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
17	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
18	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	49 चिकित्सा व्यय	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)
19	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
20	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	55 मकान किराया भत्ता	1,67,60,000 (रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार मात्र)
21	071	2202010010400 बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			61,20,37,000 (रुपये इकसठ करोड़ बीस लाख सैंतीस हजार मात्र)

महायोग	61,20,37,000 (रुपये इकसठ करोड़ बीस लाख सैंतीस हजार मात्र)
---------------	---

के नामे डाला जायेगा।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28, मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम) / लेखा परीक्षा प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- (3) शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं सभापति बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- (4) वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज।
- (5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, प्रयागराज/जवाहर भवन, लखनऊ।
- (6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/ अनुश्रवण प्रकोष्ठ (बेसिक शिक्षा) उ०प्र० लखनऊ।
- (8) गार्ड फाईल

आज्ञा से,

वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।